रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2001/माघ 13, 1922

No. 47] **NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2001/MAGHA 13, 1922**

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2001

सा. का. नि. 54(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2001 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 1 जनवरी, 1996 से लागू माना जाएगा।

2. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 की प्रथम अनुसूची में टिप्पणी 5 को नीचे लिखे अनुसार पढ़ा जाए :

(i) समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों के मामले में, एस-14 (7500—12000 रु.) का संशोधित वेतनमान, तारीख 1-1-96 को, तदर्थ आधार पर 10000—15200 रु. के वरिष्ठ वेतनमान में पहले से ही स्थानापन्न रूप से कार्यरत समूह ''ख'' के लेखा अधिकारियों सहित, कार्यरत समूह ''ख'' के लेखा अधिकारियों की कुल संख्या के 20% तक लागू किया जाएगा। एस-15 (8000—13500 रु.) का संशोधित वेतनमान, तारीख 1-1-96 को, तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्यरत समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों सहित, कार्यरत समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों के 80% तक लागू किया जाएगा। 8000—13500 रु. के ग्रेड में पद 1-1-1996 को समूह ''ख'' में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके 7500-12000 रु. के ग्रेड के समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों में से भरे जाएंगे, इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप में रहते हुए 8000-13500 रु. के ग्रेड में कल्पित आधार पर भी रखा जाएगा।

(ii) अनुवर्ती वर्षों के लिए एस-15 (8000—13500 रु.) के संशोधित वेतनमान में ऑपरेट किए जाने वाले पदों की संख्या प्रत्येक ऐसे वर्ष की पहली जनवरी को, तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्यरत समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों सहित, कार्यरत समूह ''ख'' अधिकारियों की संख्या को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाएगी और ऐसे पद उपर्युक्त पैरा (i) में दिए गए अनुसार, प्रत्येक ऐसे अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को समूह ''ख'' में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके, तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्यरत समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों सहित, 7500—12000 रु. के ग्रेड के समूह ''ख'' लेखा अधिकारियों में से भरे जाएंगे।

[सं. पी. सी.-V/97/आइ ई सी/1 (पार्ट-I)]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव

331 GI/2001

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेलवे सेवा (संशोधित वेतनमान) संशोधन नियम, 2001 समूह "ख" सेवा/पदों के वेतनमान के संबंध में पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी होंगे, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हों, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पण.—

(i) मूल रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 सा.का.नि. सं. 584 (अ) ता. 8-10-1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(ii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतनमान) संशोधन नियम, 1997 सा.का.नि. सं. 69 (अ) ता. 5-2-1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(iii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के लिए शुद्धि पत्र सा.का.नि. सं. 72 (अ) ता. 9-2-1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2001

GSR No. 54(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules in Amendment to the Railway Services (Revised Pay) Rules, namely:

1. (1) These rules may be called Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2001.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1996.

2. Note 5 in the First Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules 1997, may be read as under :—

(i) In the case of Group 'B' Accounts Officers, the revised scale S-14 (Rs.7500—12000) will be operated to the extent of 20% of the total number of Group 'B' Accounts Officers on roll, including the Group 'B' Accounts Officers already officiating in Senior Scale of Rs. 10000—15200 on adhoc basis, as on 1.1.96. The revised scale S-15 (Rs. 8000—13500) will be operated to the extent of 80% of the Group 'B' Accounts Officers on roll, as on 1.1.96, including the Group 'B' Accounts Officers officiating in Senior Scale on adhoc basis. The posts in the grade Rs. 8000—13500 will be filled from amongst Group 'B' Accounts Officers in the grade Rs. 7500—12000 with a minimum of three years of regular service in Group 'B' as on 1.1.1996. For this purpose, the Group 'B' Accounts Officers officiating in Senior Scale on adhoc basis will also be notionally placed in the grade Rs. 8000—13500 while continuing to officiate in Senior Scale.

(ii) For subsequent years, the number of posts to be operated in the revised scale S-15 (Rs.8000—13500) will be determined in reference to the number of Group 'B' Officers on roll, including the Group 'B' Accounts Officers officiating in Senior Scale on adhoc basis, as on First day of January of each such year and the posts shall be filled from amongst Group 'B' Accounts Officers, in the grade Rs.7500—12000 including those officiating in Senior Scale on adhoc basis, with a minimum of three years regular service in Group 'B' as on First day of January of each such subsequent year, as in para (i) above.

[No.PC-V/97/I/EC/I (Pt.I)]

D. P. TRIPATHI, Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2001 have been made to implement the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission with respect to pay scales of Group 'B' Service/Posts. They are being given retrospective effect from 1st January, 1996. It is certified that the retrospective effect being given to these rules will not affect adversely any employee to whom these rules apply.

Foot Note

(i) Original Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G. S. R. No. 584(E) dated 8-10-1997.

(ii) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1997 vide G.S.R. No. 69 (E) dated 5-2-1998.

(iii) Corrigendum to Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 72 (E) dated 9-2-1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.